वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाना

1011. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार समय-समय पर वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को राज्य सरकारों तथा राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर हटाने की कार्यवाही करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार कितनी कितनी वन भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वन भूमि पर अवैध कब्जों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे ही वन अधिनियमों तथा संबंधित राज्य भू-राजस्व अधिनियमों के तहत खाली कराया जाता है।

वन भूमि पर अवैध कब्जों संबंधी विवरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में डिवीजन स्तर पर रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार

1012. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालयों में भ्रष्टाचार एवं कदाचार व्याप्त है ;

(ख) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने अपने स्तर पर कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) उत्तर प्रदेश में व्याप्त प्रदूषण का ठीक प्रकार से निदान न किये जाने के संबंध में संसद-सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) इस संबंध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनाचार से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई है। चूंकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं, अतः केन्द्र सरकार ने उस शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश शासन को अग्रेषित कर दिया है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रदूषण निवारण के संबंध में संसद-सदस्यों से 28 पत्र प्राप्त हुए हैं। इन मामलों को जांच के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भेजा गया था। प्रत्येक मामले में, उचित कार्रवाई की गई थी और माननीय सदस्यों को अंतिम उत्तर भेजे गए थे।

प्रदूषण को रोकने हेतु उद्योगों की स्थापना के लिए स्थानों का निर्धारण

1013. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रदूषण को रोकने हेतु उद्योगों की स्थापना के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं और पर्यावरण के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे उद्योगों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) कतिपय श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ क्षेत्रों

की शिनाख्त की गई है। इन क्षेत्रों में दून घाटी, आगरा-मथुरा क्षेत्र और दहानू शामिल हैं।

(ग) और (घ) प्रत्येक उद्योग के स्वरूप' निहित प्रक्रिया, कच्चे माल और प्रयुक्त ईंधन की किस्म पर विचार करने के बाद उद्योगों को "हरा", "संतरी" और "लाल" तीन श्रेणियों में समूहबद्ध किया गया है। गैर-प्रदूषक उद्योग "हरा" की श्रेणी में आते हैं जबकि मध्यम श्रेणी का प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग "संतरी" की श्रेणी में आते हैं। इन श्रेणियों में आने वाली यूनिटों को उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों और पर्यावरणीय रक्षोपायों के साथ कार्य करने की अनुमति दी जाती है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग "लाल" की श्रेणी में आते हैं जिनको इन क्षेत्रों में स्थापित करने का निषेध है।

प्रदूषण को कम करने के लिए जारी किए गए दिशा-निदेशों में ईंधन की कतिपय किस्मों और मात्राओं, बहिःस्राव विसर्जन की मात्राओं, उपयोग और कर्मचारियों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाना शामिल है।

गुजरात में प्रदूषणरहित शहर

1014. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार के कुछ शहरों को प्रदूषणरहित बनाने का कोई कार्यक्रम प्रारम्भ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गुजरात के कुछ शहरों में प्रदूषणरहित वातावरण बनाने तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर सतत निगरानी रखने के लिए उनका चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) गुजरात के कुछ शहरों को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि गुजरात सहित देश में प्रदूषण की निगरानी, नियंत्रण और निवारण के चालू प्रयासों को सुदृढ़ किया गया है, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं।

1. राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के तहत अहमदाबाद शहर से ऊपर की ओर बैठा तक के बीच साबरमती नदी के प्रदूषित भागों को सफाई कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

2. गुजरात में वापी और अंकलेश्वर अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में शिनाखत की गई है और वापी के संबंध में औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के लिए या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से कार्य योजना तैयार की गई है।

3. गुजरात सहित चार औद्योगिक राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से "इण्डस्ट्रीयल पाल्यूशन कंट्रोल प्रोजक्ट" नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में शामिल मुख्य घटक हैं; प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का सुदृढ़ीकरण, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए बड़े और मंझोले उद्योगों को ऋण तथा छोटी औद्योगिक इकाइयों के समूहों के लिए सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने हेतु सहायता।

4. छोटे उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है।

5. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद बड़ौदा, सूरत, वापी, राजकोट और भडौंच के शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

6. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण पर कृत्यक बलों का गठन किया गया है।

7. बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं।

8. परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक तैयार किये गये हैं।